as under:-

Sl. No	Quotations	Answers
1	Copies of all circulars, office orders, instructions and guidelines issued by the organization for implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 regarding the use of regional languages in public information displays, boards and nameplates.	Copy enclosed.
2	Details of the action taken to ensure the use of Kannada in all public information displays, boards, nameplates, entrance boards, reception displays and installed at the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	Kannada in all public information displays, boards, nameplates, entrance boards, reception displays and installed at the ITAT, Bangalore Benches, Bangalore.
3	Copies of inspection reports, compliance reports, internal audits or review reports prepared to verify implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	No information available.
4	Copies of file notings, correspondence and communications relating to corrective measures taken wherever non compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 was observed in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	Already implemented.
5	Details of the officer or department responsible for monitoring and ensuring compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	Shri. Keshav Dubey, Hon'ble Judicial Member, Adhyaksh ,Karyalay Rajbhasha Karyanvayan samiti

आयकर अपीलीय अधिकरण
Income Tax Appellate Tribunal
स्पीड पोस्ट
Bangalore Benches, Bangalore
R.P. Dated
GRNo. 1123 Date. 22/5/25

आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई पीठ, मुंबई।

विषयः आयकर अपीलीय अधिकरण के "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में स्थित पीठों में त्रि-भाषा के दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति।

संदर्भः विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग से प्राप्त पत्र फा.सं. ई-11012/6/2019-रा.भा.(वि.का.), दिनांक 24.04.2025

******

उपर्युक्त विषय के संबंध में, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग से प्राप्त पत्रानुसार, हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात **"ख" और "ग"** क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से संबंधित त्रि-भाषा के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त संबंध में मंत्रालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण की **"ख"** (मुंबई, पुणे, राजकोट, अहमदाबाद, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, अमृतसर) **और "ग"** (कटक, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोचीन, हैदराबाद, पणजी, चेन्नै, गुवाहाटी, बेंगलूरु पीठों में) क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में **त्रि-भाषा के दिशानिर्देशों का अनुपालन रिपोर्ट मांगा है।**

अतः आयकर अपीलीय अधिकरण की निम्नलिखित पीठों को निदेश दिया जाता है कि अपनी-अपनी पीठों में उक्त त्रि-भाषा अर्थात **(क्षेत्रीय भाषा-हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के क्रम में अपने कार्यालयों के बोर्डों तथा नामपट्टों पर लिखा जाए, मुद्रित (printed) किया जाए अथवा उकेरा (inscribed) जाए जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान हो) (The font sizes of the texts of all the languages will be of the same size.)** के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं किए गए अनुपालन की स्थिति संबंधी अद्यतन रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाए। ताकि मुख्यालय द्वारा सभी पीठों की रिपोर्ट को समेकित रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को प्रेषित की जा सके।

इसे माननीय अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण के अनुमोदन से भेजा जा रहा है।

सहायक रजिस्ट्रार

सहायक रजिसट्रार, आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई/ पुणे/राजकोट/अहमदाबाद/ नागपुर/ चंडीगढ़/ सूरत/ अमृतसर/ कटक/ कोलकाता/ विशाखापट्टनम/कोचीन/हैदराबाद/पणजी/चेन्नै/गुवाहाटी/बेंगलूरु पीठ (ठें)

अशा.पत्र सं. एफ.5/एडी/एटी/ कार्यान्वयन/ **2025, दिनांक** 9 **.05.2025**

Goutham Ganesh M H